



दिनांक 12.11.2024

प्रेस विज्ञप्ति 19 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

मुख्य सचिव उ0प्र0 एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कुम्भ क्षेत्र प्रयागराज का भ्रमण कर महाकुम्भ-2025 के तैयारियों के सम्बन्ध में की गयी समीक्षा

श्री मनोज कुमार सिंह मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन एवं श्री प्रशान्त कुमार पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक 12.11.2024 को कुम्भ क्षेत्र प्रयागराज का भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान एयरपोर्ट रोड एवं सुबेदारगंज सेतु का स्थलीय निरीक्षण किया गया एवं महाकुम्भ-2025 की तैयारियों के दृष्टिगत कार्यों की प्रगति, डिजिटल/स्वच्छ कुम्भ, पुलिस प्लान व अन्य कार्य योजनाओं के सम्बन्ध में ICCC (इन्ट्रीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कंट्रोल सेन्टर) में सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

तत्पश्चात पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा कुम्भ मेला पुलिस लाइन परेड के संकल्प प्रशिक्षण पंडाल में आये हुए पुलिस कार्मिकों को सम्बोधित किया गया तथा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि पुलिस कर्मियों का समय से चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण पूर्ण करा लिया जाये तथा प्रशिक्षण में साफ्ट स्किल (Soft skill) का भी प्रशिक्षण दिया जाये तथा पिछले अर्द्धकुम्भ, कुम्भ व महाकुम्भ के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा किये गये सराहनीय कार्यों की स्लाइड दिखाया जाये, जिससे वे कार्य करने हेतु और अधिक प्रेरित हो सके।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा अपने सम्बोधन के दौरान महाकुम्भ मेले को पृथ्वी पर "मनुष्य का सबसे बड़ा समागम" एवं "सबसे बड़ा यज्ञ" बताया गया तथा सुरक्षा व्यवस्था के उपलब्ध सभी साधनों में एआई (AI) का प्रयोग एवं महत्व के विषय में चर्चा की गई। साथ ही एनडीआरएफ टीम द्वारा संचालित की जा रही प्रशिक्षण क्लास में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे पुलिस कर्मियों को आगामी महाकुम्भ मेले में आने वाले

श्रद्धालुओं/दर्शनार्थियों के साथ शालीन व्यवहार किये जाने की जिम्मेदारियां से अवगत कराते हुए महाकुंभ मेला में व्यवहार एवं कर्तव्यों के साथ आधुनिक तकनीकी के महत्व के विषय में बताकर पूर्व के कुंभ मेले में पुलिस द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों का भी उदाहरण देते हुए पूर्ण मनोयोग से कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन एवं पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय द्वारा कुम्भ मेला में बने परेड पुलिस लाइन का भ्रमण एवं निरीक्षण किया गया एवं महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर निर्देश दिए गए:—

- महाकुम्भ मेले में स्थापित किये जा रहे थानों/चौकियों की समस्त तैयारियाँ सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर पूर्ण कर लिया जाये।
- पुलिस कर्मचारियों के लिए आधार भूत सुविधाओं को सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कर शीघ्र पूर्ण करा लिया जाये।
- संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों से निरन्तर समन्वय स्थापित करते हुए समय से पूर्ण करा लिया जाये।
- वाहनों की पार्किंग सम्बन्धित विभागों के सहयोग से समय से तैयार करा ली जाये।

इस अवसर पर अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज, मण्डलायुक्त प्रयागराज, पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज, मेलाधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहें।









दिनांक 12.11.2024

प्रेस विज्ञप्ति 20 / 2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद फिरोजाबाद/थाना अराँव

- 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक: 12.11.2024 को थाना अराँव व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सकतपुर पिडसरा तिराहा से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुनील कुमार को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अराँव पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अराँव पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुनील कुमार निवासी ग्राम सरैया थाना अराँव जनपद फिरोजाबाद।

जनपद बुलन्दशहर/थाना अगौता

- पुलिस कार्यवाही में 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त

गिरफ्तार

- 01 मोटर साइकिल

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 11.11.2024 की रात्रि थाना अगौता पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फतेहपुर बम्बा पर लोहलाडा को जाने वाली पुलिया के पास बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त इस्माईल

घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अगौता पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद हापुड़, बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्स एक्ट आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना अगौता पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इस्माईल निवासी ग्राम निडोरी थाना मसूरी, गाजियाबाद।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद उन्नाव/थाना फतेहपुर चौरासी

- 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 12.11.2024 को थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ऊगू स्टेशन जाने वाले कच्चे मार्ग रेलवे पौधशाला गेट से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुभाष चन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सोहरामऊ पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—सुभाष चन्द निवासी झब्बूखेड़ा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 12 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद खीरी / थाना मितौली

- पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूट के सोने—चॉदी के आभूषण
 - लूट के 08 हजार रुपये नगद
 - 01 मोटर साइकिल
- 02 अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद

दिनांक: 11 / 12.11.2024 की रात्रि थाना मितौली, थाना नीमगाँव व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भीकमपुर नहर पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—इशाद उर्फ मन्ना घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—वसीउल्ला सहित गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट के सोने—चॉदी के आभूषण, लूट के 08 हजार रुपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा मय कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना मितौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—इरशाद उर्फ मन्ना निवासी वुड़वार थाना गोला जनपद खीरी।

2—वसीउल्ला निवासी वुड़वार थाना गोला जनपद खीरी।

बरामदगी

1—लूट के सोने—चॉदी के आभूषण।

2—लूट के 08 हजार रुपये नगद।

3—1 मोटर साइकिल।

4—02 अवैध तमंचा मय कारतूस।

जनपद औरैया/थाना कोतवाली औरैया

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- लूटे गये 9100/-रुपये नगद
- 02 दो पहिया वाहन
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद

दिनांक: 12.11.2024 को थाना कोतवाली औरैया व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 03 अभियुक्तों 1—अतुल 2—गणेश देव 3—बड़े उर्फ रोशनलाल उर्फ धीरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 9100/-रुपये नगद, 02 दो पहिया वाहन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 08.11.2024 को थाना कोतवाली औरैया क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली औरैया पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रुपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त बड़े उर्फ रोशनलाल उर्फ धीरेन्द्र के विरुद्ध जनपद औरैया, इटावा, कानपुर देहात, अलीगढ़ के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी, आर्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट आदि के 15 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली औरैया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—अतुल निवासी ग्राम लालपुर थाना अछल्दा जनपद औरैया।
- 2—गणेश देव निवासी ग्राम लालपुर थाना अछल्दा जनपद औरैया।
- 3—बड़े उर्फ रोशनलाल उर्फ धीरेन्द्र निवासी सराय गढ़ेवा थाना रुरा जनपद कानपुर देहात।

बरामदगी

- 1—लूटे गये 9100/-रुपये नगद।
- 2—02 दो पहिया वाहन।
- 3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

कमिशनरेट आगरा/थाना हरीपर्वत

- 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी के 04 लाख 50 हजार रुपये नगद आदि बरामद

दिनांक: 11.11.2024 को थाना हरीपर्वत पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आई0एस0बी0टी0 बस स्टैण्ड से अभियुक्त 1—शंकर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी के 04 लाख 50 हजार रुपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक: 18.10.2024 को थाना हरीपर्वत क्षेत्रान्तर्गत चोर द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रुपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना हरीपर्वत पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शंकर निवासी विष्णु कालोनी थाना शाहगंज कमिशनरेट आगरा।

बरामदगी

1—चोरी के 04 लाख 50 हजार रूपये नगद आदि।

कमिशनरेट गौतमबुद्धनगर / थाना बिसरख

- पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार

- चोरी की 10 दो पहिया वाहन

- 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 12.11.2024 को थाना बिसरख पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हैबतपुर टी प्लाइंट पर चेकिंग के दौरान बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—मोनू घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2—पवन कुमार 3—मानष उर्फ सोनू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 10 दो पहिया वाहन, 01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना बिसरख पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—मोनू निवासी रझेडा थाना बाबूगढ़ जनपद हापुड़ वर्तमान पता—शाहपुर बम्हेटा थाना वेवसिटी गाजियाबाद।

2—पवन कुमार निवासी गली राज कम्पाउण्ड गड्ढा कालोनी लालकुआं, गाजियाबाद मूलपता—ग्राम बसई जनपद अलीगढ़।

3—मानष उर्फ सोनू निवासी उमरिया थाना पाली जनपद हरदोई वर्तमान पता—विनायक एकलेव गिरधरपुर सुनारसी थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

- 1—चोरी की 10 दो पहिया वाहन।
2—01 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद शाहजहाँपुर/थाना निगोही

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 01 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 34 ग्राम अवैध फाइन क्वालिटी अफीम बरामद

दिनांक: 12.11.2024 को थाना निगोही पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सतवा तिराहा बरेली मोड़ से 02 अभियुक्तों 1—नीरस कुमार 2—शिवसरन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 34 ग्राम अवैध फाइन क्वालिटी अफीम बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शिवसरन के विरुद्ध जनपद शाहजहाँपुर के विभिन्न थानों पर एनडीपीएस, आबकारी एकट के 09 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना निगोही पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1—नीरस कुमार निवासी ग्राम करौदा थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर।
2—शिवसरन निवासी ग्राम करौदा थाना मदनापुर जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

- 1—लगभग 01 करोड़ रुपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 01 किलो 34 ग्राम अवैध फाइन क्वालिटी अफीम।
-